झारखंड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (द्वितीय संशोधन)

अधिनियम, 2002

सत्यमेव जयते

(सभा द्वारा पारित)

[अधिनियम संख्या-13/2002]

झारखंड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता
(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

(सभा द्वारा पारित)

झारखंड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखंड अधिनियम–04, 2001) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरपनवें (53वें) वर्ष में झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –
   (i) यह अधिनियम झारखंड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
   (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. झारखंड अधिनियम 04, 2001 की धारा–3 का प्रतिस्थापन :– झारखंड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखंड अधिनियम – 04, 2001) की धारा – 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"मुख्यमंत्री को प्रतिमाह 5500/– (पाँच हजार पाँच सौ) रुपये की दर से एवं प्रत्येक मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को 5000/– (पाँच हजार रुपये) की दर से वेतन दिया जायेगा। इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।"

3. झारखंड अधिनियम 04, 2001 की धारा–6 का प्रतिस्थापन :– झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 04, 2001) की धारा–6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझा जायेगा –

"कोई भी मंत्री लोक कारोबार हेतु दैनिक भत्ता के रूप में 500/– रु. (पाँच सौ) रु. प्रतिदिन की दर से पाने के हकदार होंगे।"

4. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा–8 का प्रतिस्थापन :– झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 04, 2001) की धारा–8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा।

सत्कार भत्ता	(i) मुख्यमंत्री	8,000/– (आठ हजार रुपये) प्रति माह की दर से
	(ii) मंत्री/ राज्य मंत्री/ उपमंत्री	5,000/– (पाँच हजार रुपये) प्रति माह की दर से सत्कार भत्ता पाने के हकदार होंगे।

5. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा–9 में संशोधन :– उक्त अधिनियम की धारा–9 में शब्द "अवधारित करें" के पश्चात् निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"कोई भी मंत्री 2,000/– (दो हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता (आउटडोर) पाने का हकदार होगा।"

यह विधेयक झारखंड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 दिनांक 26 अगस्त, 2002 को झारखण्ड विधान सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 26 अगस्त, 2002 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

इन्दर सिंह नामधारी,

अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

दिनांक 13-9-2002

ह०/- **म० रामा जोयिस,**
राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि

(अमरनाथ झा)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०)34--131--5-10-2002--शनि मुण्डा ।